राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम 1996

जी.एस.आर. 94:- बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम-61) की धारा-13 की उप धारा (1) एवं धारा- 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम 1996 जिनके प्रारूप का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-3 (ख) दिनांक 31.08.1995 के पृष्ठ 1 से 7 तक हुआ था पर प्राप्त एतराज एवं सुझावों पर विचार किए जाने के पश्चात राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न लिखित नियम बनाती है:-

नियम

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभः**-(1) ये नियम राजस्थान [1]"बालक और कुमार श्रम" (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम 1996 कहे जावेगें।

(2)ये सरकारी राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी (लागू) होगें।

2. **परिभाषाः**- इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

[2][(क) "अधिनियम" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) अभिप्रेत है;]

(ख) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(घ) "प्रपत्र" इन नियमों में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।

(ड.) "पंजिका" से उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन संधारित किये जाने हेतु अपेक्षित पंजिका अभिप्रेत है।

(च) "निरीक्षक" से इस अधिनियम की धारा-17 के अधीन नियुक्त निरीक्ष अभिप्रेत है।

(छ) "संस्थान" से उक्त अधिनियम की धारा-2(IV) में परिभाषित स्थापन (संस्थापन) अभिप्रेत है।

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" से शहरी क्षेत्रों में टाउन समिति नगरपालिका नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद (जैसी भी स्थिति) हो अभिप्रेत है।

(झ) "कब्जाधारी" (अधिष्ठाता) से इस अधिनियम की धारा-2 (IV) में परिभाषित "कब्जाधारी" अभिप्रेत है।

(ञ) "स्थायी" से वह बाल कामगार अभिप्रेत है जिसे स्थायी आधार पर लगाया गया है तथा इसमें वह बाल कामगार भी शामिल है, जिसने इसी या इस संस्थान के अन्य व्यवसाय में तीन माह की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है जिसमे कि बीमारी, दुर्घटना, अवकाश, तालाबंदी हडताल (जो कि गैर कानूनी हडताल (न हो) या अस्वैच्छिक बन्द के कारण हुआ व्यवधान भी शामिल है।

---

1 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4(Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित| file no. F14(13)(11)श्रम /विधि /2018

2. ibid..

(ट) "अस्थायी" से वह बाल कामगार अभिप्रेत है जिसे कि एक निश्चित अवधि में पूर्ण हो जाने वाले नितान्त अस्थायी प्रकृति के काम में लगाया गया है।

(ठ) "नेमितिक" (केज्युअल) से वह बाल कामगार अभिप्रेत है जिसका कि नियोजन नेमितिक (आकस्मिक) प्रकृति का है।

(ड) "नियोजक" से राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 की धारा 2(5) में परिभाषित अभिप्रेत है।

[3](ढ़) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

[4](ण) "निधि" से अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार पुनर्वास निधि अभिप्रेत है।"

[5][2अ. **<u>अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता.</u>**- राज्य सरकार यह सुनिश्चित् करने के लिये कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाये या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिये अनुज्ञात न किया जाये, समुचित उपायों के माध्यम से,-

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मिडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाये जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने में हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन मे बालको या कुमारों के नियोजन की घटनाओं की राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये संचार के आसानी से पहुँचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन;

(ग) संभव परिणाम तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजास् और अन्य लोक स्थानों, जिसके तहत शॉपिंग सेन्टर, मार्किट, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासी कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थायें, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय है, में प्रदर्शन ;

(घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन; और

(ड.) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवदेनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक है, के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना।

[6]2आ. **<u>बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना.</u>**- धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना.-

(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,-

(I) अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया मे नहीं होगी;

(II) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृखंला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;

(III) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है;

(IV) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा;

(V) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप है, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई है;

(VI) में बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;

(VII) में किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है;

(VIII) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी; और

(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारोबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल,-

(क) बालक का सगा भाई और बहन;

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन; और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2: (1) स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा।

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक सूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 20ग के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

[7]2इ. **<u>बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना.</u>**- (1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घण्टे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अधिक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्रपत्र-4 में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्क्लेमर का विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या उत्पीडन नहीं हो के लिए सभी उपाय किए गए है;

(ग) खंड ख में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत,-

(I) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओ का सुनिश्चय;

(II) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;

(III) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय; और

(IV) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है;

(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय किया जा सके;

(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा; और

(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप भी है, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट "अन्य ऐसा कार्यकलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,-

(I)कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है;

(II)दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है;

(III) नाटक सीरियल;

(iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और

(v)कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदें के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है।]

3,4,5,6,7 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विषेशांक (Extraordinary Part-4(Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा अंतःस्थापित। file no. F14(13)(11)श्रम /विधि /2018

3. **कार्य स्थान पर सफाई तथा अपदूषण (न्यूसेंस) से मुक्तिः-**

(1) उस कार्य स्थान या स्थान को, जहां बाल श्रमिक लगाए गये है दिन में कम से कम एक बार बुहार कर, धोकर एवं पोंछकर पर्याप्त रूप से साफ तथा फिसलन वाली वस्तुओं अथवा बदबूदार पदार्थो से मुक्त रखा जाना चाहिये।

(2) जहां किसी प्रक्रिया के कारण कार्य स्थल के फर्श का गीला होना संभावित हो वहां प्रभावशील जल निकास के साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा उनका रख रखाव किया जाना चाहिए।

(3) कार्य स्थल पर या इसके पास किसी भी प्रकार गंदा कूडा कचरा या मलवा ऐसी स्थिति में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा जिससे कि उसकी गंदगी बाहर फैलने लगे।

4. **कूड़े कचरे तथा मल निस्त्राव (इफल्यूअन्ट) का निस्तारणः-**

(1) जिस कार्य स्थल पर बालक कार्यरत हैं, वहां की जल निकास व्यवस्था को सार्वजनिक निकाय प्रबंध से जोडा जाना प्रस्तावित है किन्तु इस व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय नियुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवष्यक होगा।

(2) जब कार्यस्थल ऐसे स्थान पर अव्यस्थित हो, जहां किसी प्रकार की जल निकास व्यवस्था नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में गंदे मल निस्त्राव (निकासी) के लिए की जाने वाली व्यवस्था की पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी या इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी से प्राप्त की जाएगी।

5. **वायु संचरण (वेन्टीलेषन) एवं तापमानः**- प्रत्येक कार्य परिसर में ऐसी प्रभावशाली तथा समुचित प्रावधान किये जायेगें जिनसे प्रत्येक कार्य कक्ष में शुद्व वायु संचरण से पर्याप्त संवातन हो तथा इन कमरों में ऐसा तापमान बना रहे जिससे कि कार्यरत बाल श्रमिकों को उचित सुविधाजनक सेवा स्थितिया उपलब्ध हो सके तथा इनके स्वास्थ्य की हानि को रोका जा सके।

6. **रोशनी-**

(1) प्रत्येक कार्य स्थल पर पर्याप्त तथा उपयुक्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अथवा दोनो प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध व संधारित की जाएगी।

(2) आपातकालीन रोशनी के लिए एक सक्षम सुवाह्य (पोर्टेबल) विद्युत बेटरी या दक्षता से रक्षित बल्ब वाली टार्च उचित स्थान पर उपलब्ध रहेगी।

7. **पेयजलः-** कार्यस्थल पर पीने के लिए पेयजल की आपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से की जाएगीः-

(1) सार्वजनिक जल प्रदाय प्रणाली से जुडे नलों से, या

(2) स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदित किसी अन्य साधन से।

(3) यदि उपर्युक्त वर्णित साधनों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो पेयजल को उपयुक्त बर्तनों में रखा जाए तथा उन्हे प्रतिदिन फिर से भरा जाना चाहिये। पानी के परिरक्षण एवं बर्तनों को संदूषण से मुक्त व स्वच्छ रखने के बारे में सभी व्यावहारिक कदम उठाए जायेगें।

8. **शौचालय तथा मूत्रालयः-**

(1) पुरूषों तथा महिलाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी जो कि प्रत्येक कार्यस्थल से सुगमता पूर्वक सुलभ व पर्याप्त संख्या में बालकों के उपयोग हेतु हर समय उपलब्ध हो, प्रत्येक शौचालय तथा मूत्रालय की दीवारे छत या विभाजक जहां तक संभव हो चमकदार टाईलों के होने चाहिये तथा जहां कही चमकदार टाईल उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में इनमें माह में एक बार सफेदी तथा रंग रोगन किया जाना चाहिये।

(2) सभी उपलब्ध शौचालय तथा मूत्रालय पर्याप्त रोशनी व वायुयुक्त और स्वच्छ व स्वास्थ्य जन्य स्थिति मे संधारित होने चाहिये। प्रत्येक शौचालय ढका हुआ तथा इस प्रकार विभाजित होना चाहिये जिससे एकान्तता रक्षित हो तथा उसमें उचित द्वार व कुन्दी भी हो।

9. **थूकदानः-** थूकदान निम्न प्रकार से होने चाहिये

(1) नाकेदार नली के आकार के ढक्कन युक्त बस्तेदार लोहे के पात्र जिनमें उचित रोगाणुनाशक द्रव की पर्त हमेशा बनी रहनी चाहिये।

(2) थूकदान सूखी साफ बालु से भरे हो तथा ये ब्लीचिंग पाउडर की पर्त से आच्छादित हो।

(3) थूकदान को उप-धारा (1) और (2) मे उल्लिखितानुसार दिन में कम से कम एक बार खाली साफ तथा रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिये।

10. **अत्यधिक वजनः-** किसी भी बालक को हाथ या सिर द्वारा 10 किलोग्राम से अधिक वजन उठाने, ले जाने व रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. **नेत्रों की सुरक्षाः-** उन कार्यस्थलों पर कार्यरत बालकों की सुरक्षा के लिए प्रभावशील आवरण (स्क्रीन) व उपयुक्त चश्में प्रदान किये जावेगें, जहां अत्यधिक रोशनी के प्रकाशित होने के कारण आंखो का खतरा उत्पन्न हो या किसी ऐसी कार्य प्रक्रिया सामीप्य के कारण जिसमें कि वस्तु के खण्ड या टुकडों के बाहर उछलने के फलस्वरूप आंखो की क्षति की संभावना हो।

12. **विस्फोटक एवं जलनशील कण व गैस आदिः-** प्रत्येक कार्य स्थल, जहां बाल श्रमिक नियोजित है, किसी भी प्रकार के जलनशील पदार्थो का विस्फोटक गैस एवं कणों से रहित होने चाहिये।

13. **आग लग जाने पर सावधानीः-**

(1) प्रत्येक कार्यस्थल पर उसमें कार्यरत बालकों की सुरक्षा हेतु आग लगने पर बचाव के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ये बचाव के साधन ऐसे अवस्थित होंगे कि प्रत्येक बालक को उसके कार्य स्थल से इन निकासों तक पहुचने का पर्याप्त उचित और अबाधित मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

(2) आग लग जाने की स्थिति में प्रयोग में आशय वाले निकास के द्वार चौडाई में 2-1/2 फीट तथा लम्बाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होगें।

(3) प्रत्येक कार्य स्थल पर सभी संभावित आग बुझाने वाले साधन सदैव उपलब्ध होंगे तथा इनका रख-रखाव किया जायेगा।

14. **भवन और मषीनों की सुरक्षाः**- जहां बालक कार्यरत है उस भवन व वहां की मशीनों की सुरक्षा के समुचित साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

[8]15 "कार्य के घंटे.- धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटो को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय है।"

16. **साप्ताहिक अवकाश**-

प्रत्येक [9]"कुमार" को सप्ताह में एक दिन के अवकाश का अधिकार होगा और इस अवकाश के लिए उसकी मजदूरी के भुगतान की दर अवकाश के तुरंत पहले के सप्ताह की उसकी मजदूरी के दैनिक अनुपात के समान होगी।

[10][16अ **बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय.-**

(1) धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुर्नवास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उदभूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थातः-

(I) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14 ख की उप-धारा (3) के अधीन निधि में रकम को विनियोजित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को संसूचित करेगा;

(II) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्द्धवार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में, बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन अन्तरित किया जाएगा;

(III) जब संबद्ध बालक या कुमार अठ्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथासंभव शीघ्र या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उदभूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी ; और

---

8 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विषेशांक (Extraordinary Part-4(Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित।

9 ibid, 10. ibid. अंतःस्थापित

(IV) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है, के साथ खंड (II) और खंड (III) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।

(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

17. **चिकित्सा सुविधायेः-**

(1) प्रत्येक संस्थान जहां पर बालक नियोजित किये जाते हैं, वहां पर "फर्स्ट ऐड बॉक्स" पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सामग्री के साथ रखा जायेगा तथा स्पष्ट शब्दों में उसके ऊपर "फर्स्ट ऐड" लिखा हुआ होना चाहिये।

(2) प्रत्येक संस्थान में जहां पर 100 या इससे अधिक बालक नियोजित है, वहां पर एक डिस्पेन्सरी स्थापित होगी जिसमें ऐसी दवाईयां एवं उपकरण सुलभ कराये जावेंगे जिन्हे राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार उचित एवं आवश्यक समझा जावे।

(3) डिस्पेन्सरी का प्रभारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी चिकित्सक होगा जिसकी सहायता के लिए उपयुक्त स्टाफ भी उपलब्ध कराया जावेगा।

(4) डिस्पेन्सरी का "फ्लोर एरिया" कम से कम 250 वर्ग फुट होगा तथा इसकी दीवारे एवं फर्श पर्याप्त रूप से सुदृढ व चमकदार होंगे तथा इसमें हवा के समुचित आवागमन और विद्युत व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान रखा जायेगा। डिस्पेन्सरी में पीने के पानी का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा।

18. **शैक्षणिक सुविधायेः-**

प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य समय के दौरान बालको को मुफ्त शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रभावी एवं उपयुक्त व्यवस्था की जा सकेगी जिसमे पढने, लिखने व गणना करने का समुचित अभ्यास सम्मिलित किया जा सकता है।

19. **अल्पाहार सुविधाः-**

विश्राम के अन्तराल में प्रत्येक कार्यरत बालक को पर्याप्त पोषाहार उपलब्ध कराया जाना चाहिये जो कि स्वच्छ एवं ताजा हो।

[11][20. **आयु का प्रमाण पत्र**.-(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करें।

(2) समुचित चिकित्सा अधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन आयु का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय,-

(I) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(II) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र या, कुमार के संबद्ध, परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

(III) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करेगा, और खंड (I) से खण्ड (III) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु आवधारण परीक्षण जिला स्तरीय श्रम अधिकारी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जायेगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण पत्र प्रपत्र-1 में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डो के लिए विनिर्दिष्ट किए जाए।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(I) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(II) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (I) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।

[12][20क. **व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे.**- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किये जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रंबधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित है, जो उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित तो नहीं किया जा रहा है।

---

11. अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित।

12. अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I)भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा अंतःस्थापित।

[13][20ख. **अपराधों का शमन करने की रीति**.- (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

(I) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(II)जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा,-

(I) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(II) खंड (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

[14][20ग. **जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य.-** (1) जिला मजिस्ट्रेट,-

(I) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17क के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(II) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

(III) निम्नलिखित से मिलकर बनाए जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा;-

---

13 व 14 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I)भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा अंतःस्थापित।

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;

(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (I) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;

(ड.) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए जिले का सर्वोच्च श्रम अधिकारी;

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;

(छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और

(ज) जिला दुर्व्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;

(झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;

(ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल संरक्षण अधिकारी;

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी;

(ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;

(ड) कार्य बल का सचिव खंड (I) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उप-धारा (1) के खंड (III) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास मे कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते है, बचाए जाते है तथा उन्हें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जाएगा,-

(I) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) तथा तद्धीन बनाए गए नियम;

(II) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19);

(III) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;

(IV) कोई जिला बाल श्रम परियोजना;

(V) तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि या स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालको या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीनः-

(क) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हों;

(ख) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

[15][20घ. **<u>निरीक्षकों के कर्तव्य.-</u>** धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वार नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए,-

(I) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;

(II) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और

(III) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कारवाई के बारे में राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

[16][20ङ. **<u>आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना.</u>**- राज्य सरकार धारा 17 के उपबधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगे,-

(I) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध है और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते है;

(II) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खण्ड (I) के अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कारवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;

---

15 व 16 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I)भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा अंतःस्थापित।

(III) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना-

(क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी है जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते है;

(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे; और

(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरेय

(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे"।]

21. **पंजिकाः-**

प्रत्येक नियोजक या अधिष्ठाता (स्वामी) के लिए किसी संस्थापन में नियोजित या कार्य हेतु अनुज्ञप्त (परमिटेड) बालक के संबंध में निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिये संपूर्ण कार्यावधि अथवा कार्य किये जाने के दौरान के विवरण प्रपत्र-2 में दर्शाने वाली पंजिका संधारित करना आवश्यक है।

22. **विवरणीः-**

(1) प्रत्येक नियोजक/अधिष्ठता (स्वामी) को प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी से पूर्व 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष की विवरणी निरीक्षक को प्रपत्र-3 में दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। जिन्हे निरीक्षक द्वारा (श्रम आयुक्त) को 31 जनवरी को या इससे पूर्व प्रस्तुत करेगा/किया जावेगा।

(2) श्रम आयुक्त के द्वारा उक्त वार्षिक विवरणी को संकलित करके 15 फरवरी से पूर्व राज्य सरकार को भेजा जाना आवष्यक होगा।

23. **निर्वचनः-**

इस नियमों के निर्वचन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रपत्र-1

आयु का प्रमाण-पत्र

[नियम-20(2)देखिये]

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने (नाम)
..... पुत्र/पुत्री श्री
..... निवासी .....
.....का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया है और उसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है, और उसकी आयु परीक्षण पश्चात यथा संभव निकटतम
.... वर्ष पूर्ण किया जाना अभिनिश्चित की जा सकती है। उसका वर्णनात्मक चिन्ह
.....है।

[1]"कुमार" के अंगुठे की नाम/हस्ताक्षर

चिकित्सा प्राधिकारी

(पद नाम)

.....

स्थान .....

तारीख .....

---

1 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रपत्र-2

(नियम-21)

वर्ष..... कार्य का स्थान .....

नियोजक का नाम और पता:-

संस्थान द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रकृति

क्र.सं.	[1]"कुमार" का नाम	पिता का नाम	जन्म तारीख	स्थायी पता	संस्थान में कार्य ग्रहण की तारीख	कार्य की प्रकृति जिस पर नियोजित है	दैनिक कार्य के घण्टे	विश्राम का अंतराल	संदत मजदूरी	टिप्पणिया (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रपत्र-3

(नियम-22)

क्र.सं.	संस्थान का विवरण नियोजन का नाम पता व कार्य की प्रकृति	नियोजित [1]"बालक और कुमार" श्रमिकों की संख्या		कार्य अवधि अनुसार नियोजित बालको की संख्या नियुक्ति के समय से					कर्मचारी का स्तर	
		पुरूष	स्त्री	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से दो वर्ष तक	दो वर्ष से पांच वर्ष तक	पांच वर्ष से अधिक	आकस्मिक	अस्थायी	स्थायी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्य के घण्टे		रात्रि के समय नियुक्त बालकों की संख्या		कुल वेतन			श्रमिकों की संख्या जो बिना विश्राम के कार्य करते हैं	विशेष विवरण
4 घण्टे से कम कार्य	5 घण्टे से अधिक कार्य	6 घण्टे से कम कार्य	6 घण्टे से अधिक कार्य	साप्ताहिक श्रमिक सं.रू.	पाक्षिक श्रमिक सं.रू.	मसिक श्रमिक सं.रू.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20

नियोजक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

1. अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]"प्रपत्र-4

(नियम 2इ(1)(ख) देखिए)

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1996 के नियम

2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध

मैं ..... वाणिज्यिक आयोजन ..... का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक.....का उत्पादक हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे है, अर्थात्:-

क्र.सं.	बालक/बालकों का नाम	माता-पिता/संरक्षक का नाम	पता

यह वचन देता हूँ कि.....आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लेखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1996 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मै यह भी वचन देता हू कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक.....

नाम और हस्ताक्षर"

1.अधिसूचना क्र0 जी.एस.आर.112 दिनांक 7 फरवरी 2019, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक (Extraordinary Part-4 (Ga)(I) भाग 4ग उप-खण्ड (1) दिनांक 7 मार्च 2019 को पृष्ठ 151 पर हुआ है, द्वारा अंतःस्थापित।

राजस्थान राज-पत्र विशेशांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकशित	*Published by Authority*
फाल्गुन 16, गुरुवार, शाके 1940- मार्च 7,2019	*Phalguna 16, Thursday, Saka 1940- March 7, 2019*
भाग 4 (ग) उपखन्ड (1)	

श्रम विभाग

अधिसूचना

क्रमांकः-एफ.14(13)(11)श्रम/विधि/2018 जयपुर, दिनांकः 7.2.2019

जी.एस.आर.112:- राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिये बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय प्रारुप नियम अधिसूचना दिनाक 3.5.2018 द्वारा राजसथान राजपत्र असाधारण, भाग-3 (ख) मे प्रकाशित किये गये थे, उन पर सभी व्यक्तियो से जिनके उससे प्रभावित होने कि सम्भावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतिया जनता को उप्लब्ध होने की तारीख से तीस दिनो की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किये गये थे;

और राजपत्र की प्रतिया आम जन को 21 जून, 2018 को उप्लब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारूप नियम के सम्बंध मे आम जन से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नही हुए है;

अत: अब राज्य सरकार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम, 1996 क और सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम)(संशोधन), नियम, 2018 है।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.- राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा जायेगा, के नियम 1 के उप-नियम (1) मे विधमान अभिव्यक्ति ''बाल श्रमिक'', को अभिव्यक्ति ''बालक और कुमार श्रम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. नियम 2 का संशोधन.- मूल नियमो के नियम 2 मे,-

(i) विधमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ''अधिनियम'' से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) अभिप्रेत है ।" ; तथा

(ii) विधमान खंड (ड) के पश्चात् तथा विद्यमान खण्ड(च) से पूर्व, निम्नलिखित नये खंड (ढ) तथा (ण) अंतःस्थापित किए जाएगें, अर्थात् :-

"(ढ़) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है। ;

(ण) "निधि" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार पुनर्वास निधि अभिप्रेत है।"

4. नये नियम 2अ, 2आ, तथा 2इ का अन्तःस्थापन.- मूल नियमों के विधमान नियम 2 के पश्चात् तथा विधमान नियम 3 से पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 2अ, 2आ, तथा 2इ अंतःस्थापित किये जायेगे, अर्थात्:-

"2अ.अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता,- राज्य सरकार यह सुनिश्चित् करने के लिये कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाये या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिये अनुज्ञात न किया जाये, समुचित उपयों के माध्यम से,-

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मिडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन मे नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधों के विषय मे जागरूक किया जाये जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया मे नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) उपक्रमो या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन मे बालको या कुमारों के नियोजन की घटनाओं की राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये संचार के आसानी से पहुँचे जा सकने वाले साधानों और विज्ञापनों का संवर्धन;

(ग) संभव परिणाम तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजास् और अन्य लोक स्थानों, जिसके तहत शॉपिंग सेन्टर, मार्किट, सिनेमा हाल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासी कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थायें, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय है, में प्रदर्शन ;

(घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन ; और

(ड.) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवदेनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक है, के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना।

2आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना,- धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,-

(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,-

(i) अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया मे नहीं होगी;

(ii) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृखंला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;

(iii) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है;

(iv) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा ;

(v) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप है, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई है;

(vi) में बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;

(vii) में किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है; और

(viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगीः

(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारोबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनो के लिए, केवल,-

(क) बालक का सगा भाई और बहन;

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन; और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: (1) स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा।

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक सूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 20ग के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना,- (1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घण्टे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनधिक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्रपत्र-4 में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्क्लेमर का विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या उत्पीडन नहीं हो के लिए सभी उपाय किए गए है;

(ग) खंड ख में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत,-

(i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओ का सुनिश्चय;

(ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;

(iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय और

(iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है:

(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(इ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय किया जा सके;

(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा; और

(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप भी है, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट "अन्य ऐसा कार्यकलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,-

(i) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल, प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है;

(ii) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है;

(iii) नाटक सीरियल;

(iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और

(v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदें के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है।"।

5. नियम 15 का संशोधन,- मूल नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"15. कार्य के घंटे- धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुमार से किसी स्थापन मे कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटो को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय है।"

6. नियम 16 का संशोधन,- मूल नियमों के नियम 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति "बाल कर्मी" को अभिव्यक्ति "कुमार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. नया नियम 16अ का अन्तःस्थापन,- मूल नियमों के विद्यमान नियम 16 के पश्चात् तथा विद्यमान नियम 17 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 16 अ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"16अ. बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय,-(1) धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुर्नवास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उदभूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थातः-

(i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन निधि मे रकम को जमा या विनियोजित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को संसूचित करेगा;

(ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अद्धवार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में, बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन;

(iii) जब संबद्ध बालक या कुमार अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथासंभव शीघ्र या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उदभूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और

(iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।

(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

8. नियम 20 का संशोधन,- मूल नियमों के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20 आयु का प्रमाण पत्र- (1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करें।

(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय,-

(i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या, कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाणपत्र पर विचार करेगा;

और खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु आवधारण परीक्षण जिला स्तरीय श्रम अधिकारी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्रपत्र-1 में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डो के लिए विनिर्दिष्ट किए जाए।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।"।

9. नये नियम 20क, 20ख, 20ग, 20घ तथा 20ङ. का अंतःस्थापन,- मूल नियमों के नियम 20 के पश्चात् तथा विद्यमान नियम 21 से पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 20क, 20ख, 20ग, 20घ तथा 20ङ. अन्तःस्थापित किये जायेंगे; अर्थात्:-

20क. व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे,- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किये जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रंबधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित है, जो उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए संवेदनशील होगें कि उनके अपने-अपने स्कूलो के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित तो नहीं किया जा रहा है।

20ख. अपराधों का शमन करने की रीति,- (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

(i) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,

धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा,-

(i) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(ii) खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

20ग. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य,- (1) जिला मजिस्ट्रेट,-

(i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

(iii) निम्नलिखित से मिलकर बनाए जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा;-

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;
(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;
(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;
(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;
(ड.) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए जिले का सर्वोच्च श्रम अधिकारीय
(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;
(छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और
(ज) जिला दुर्व्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;
(झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;
(ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी;
(ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;
(ड) कार्य बल का सचिव खंड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास के कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते है, बचाए जाते है तथा उन्हें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जायेगा,-

(i) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्धीन बनाए गए नियम;
(ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);
(iii) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;
(iv) कोई जिला बाल श्रम परियोजना;
(iv) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीनः-

(क) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हों;

(ख) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

20घ. निरीक्षकों के कर्तव्य,- धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वार नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए,-

(i) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कारवाई के बारे में राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

20ङ. आवधिक निरीक्षण और मानीटर करना,- राज्य सरकार द्वारा धारा 17 उपबधों को कार्यान्वित करने के लिए मानीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-

(i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध है और परिसंक्टमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते है;

(ii) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खण्ड (i) के अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कारवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;

(iii) निम्नलिखित का इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना,-

(क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी है जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते है;

(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और

(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे।''।

10. प्रपत्र-1 का संशोधन,- मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-1 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बालक के अंगूठे की नाम/हस्ताक्षर'', को अभिव्यक्ति ''कुमार के अंगूठे की नाम/हस्ताक्षर'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. प्रपत्र-2 का संशोधन,- मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बालक का नाम'', को अभिव्यक्ति ''कुमार का नाम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. प्रपत्र-3 का संशोधन,- मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नियोजित बाल श्रमिकों की संख्याष् को अभिव्यक्ति ष् नियोजित बालक और कुमार श्रमिकों की संख्याष् से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. नया प्रपत्र-4 का जोडा जाना,- मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-3 के पश्चात, निम्नलिखित नया प्रपत्र-4 जोडा जाएगा, अर्थातः-

"प्रपत्र-4

(नियम 2इ(1)(ख) देखिए)

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996 के नियम 2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध

मैं ..... वाणिज्यिक आयोजन ..... का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक.....का उत्पादक हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे है, अर्थात्:-

क्र.सं.	बालक/बालकों का नाम	माता-पिता/संरक्षक का नाम	पता

यह वचन देता हूँ कि.....आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लेखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मै यह भी वचन देता हूँ कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक.....

नाम और हस्ताक्षर।"।